

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

147-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 21, 2025 (SRAVANA 30, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 21st August, 2025

No. 21-HLA of 2025/57/16183.— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 21- HLA of 2025

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) The provisions of sections 2 (ii), 2 (iii) to 5 and 7 to 15 shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

- **2.** In the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), in section 2,-
 - (i) in clause (61), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in sub-clause (c) of clause (69),-
 - (a) after the words "management of a municipal", the word "fund" shall be inserted; and
 - (b) the following Explanation shall be added, namely:-

Amendment of

Short title and

commencement.

section 2 of Haryana Act 19 of 2017. 'Explanation.- For the purposes of this sub-clause-

- (a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
- (b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;";
- (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred in sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;'.

Amendment of section 12 of Haryana Act 19 of 2017. **3.** Sub-section (4) of section 12 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 13 of Haryana Act 19 of 2017 **4.** Sub-section (4) of section 13 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 17 of Haryana Act 19 of 2017.

- 5. In clause (d) of sub-section (5) of section 17 of the principal Act,-
 - (i) for the words "plant or machinery", the words "plant and machinery" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (ii) existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be added, namely:-
 - "Explanation 2.- For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any reference to "plant or machinery" shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to "plant and machinery.".

Amendment of section 20 of Haryana Act 19 of 2017.

- **6.** In section 20 of the principal Act,
 - in sub-section (1), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
 - (ii) in sub-section (2), after the word and figure "section 9", the words, brackets and figures "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)", shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025.

Amendment of section 34 of Haryana Act 19 of 2017. **7.** For the existing proviso to sub-section (2) of section 34 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the-

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".

- **8.** In section 38 of the principal Act,-
 - (i) in sub-section (1), for the words "an auto-generated statement", the words "a statement" shall be substituted;

Amendment of section 38 of Haryana Act 19 of 2017.

- (ii) in sub-section (2),-
 - (a) for the words "auto-generated statement under", the words "statement referred in" shall be substituted;
 - (b) in clause (a), the word "and" shall be omitted;
 - (c) in clause (b),-
 - (i) after the words "by the recipient,", the word "including" shall be inserted; and
 - (ii) for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;
 - (d) after clause (b), the following clause shall be added, namely:-
 - "(c) such other details, as may be prescribed.".
- **9.** In sub-section (1) of section 39 of the principal Act, for the words "and within such time", the words "within such time and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.

Amendment of section 39 of Haryana Act 19 of 2017.

10. For the existing proviso to sub-section (6) of section 107 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:-

Amendment of section 107 of Haryana Act 19 of 2017.

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty has been paid by the appellant.".

- 11. In sub-section (8) of section 112 of the principal Act,-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

Amendment of section 112 of Haryana Act 19 of 2017.

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant."

12. After section 122A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.-Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher."

Insertion of section 122B in Haryana Act 19 of 2017.

13. After section 148 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"148A. Track and trace mechanism for certain goods.- (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify-

- (a) the goods:
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

- (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),-
 - (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) specify the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

Insertion of section 148A in Haryana Act 19 of 2017.

- (3) The persons referred to in clause (b) of sub-section (1) shall,-
 - affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner, as may be prescribed;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner, as may be prescribed;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner, as may be prescribed; and
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.".

Amendment of Schedule III of Haryana Act 19 of 2017.

- 14. In paragraph 8 of Schedule III of the principal Act,-
 - (i) after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";
 - (ii) in Explanation 2, after the words "For the purposes of", the words, brackets and letter "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (iii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "Explanation 3.- For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act 28 of 2005)."

No refund of tax collected.

15. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 of this amending Act been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

- 2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2025 (Central Act 7 of 2025).
- 3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025, *inter alia*, provides for the following, namely:—
 - (i) to insert a new clause (116A) in section 2 so as to define the expression "unique identification marking" to mean a mark that is unique, secure and non-removable, for implementation of track and trace mechanism.
 - (ii) to amend clause (d) of sub-section (5) of section 17 of the Act so as to substitute the expression "plant or machinery" with the expression "plant and machinery" to remove any ambiguity in interpretation for the purpose of availment of input tax credit in such cases.
 - (iii) to amend the proviso to sub-section (2) of section 34 of the Act so as to explicitly provide for the requirement of reversal of corresponding input tax credit in respect of a credit-note, if availed, by the registered recipient, for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit note.
 - (iv) to substitute the proviso to sub-section (6) of section 107 of the Act to provide for the requirement of pre-deposit of ten per cent. of the penalty amount for filing an appeal before the Appellate Authority against an order which involves demand of penalty without involving any demand of tax.
 - (v) to insert a new section 122B in the Act to provide for penal provisions for contraventions of the provision relating to track and trace mechanism.
 - (vi) to insert a new section 148A in the Act so as to provide for an enabling provision for implementation of track and trace mechanism for ensuring effective monitoring and control of supply of specified commodities.
 - (vii) to insert a new clause (aa) in paragraph 8 of Schedule III of the Act to specify that the supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services.
- 4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

NAYAB SINGH, Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 21st August, 2025. RAJIV PRASHAD, Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या. 21 एच.एल.ए.

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) धारा 2(ii), 2(iii) से 5 तथा 7 से 15 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ के लिए विभिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 2 का

- (i) खण्ड 61 में, "धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों, चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन" शब्द, अंक, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (ii) खण्ड (69) के उप-खण्ड (ग) में,-
 - (क) "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 - (ख) निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— 'व्याख्या.— इस उपखण्ड के प्रयोजनों हेतु—
 - (क) "स्थानीय निधि" से अभिप्राय है, किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उदग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की शक्तियाँ भी निहित हों;
 - (ख) ''नगरपालिका निधि" से अभिप्राय है, किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि और जिसमें विधि द्वारा किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की शक्तियाँ भी निहित हों:
- (iii) खंड (116) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--
 - '(116क) ''विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से अभिप्राय है, धारा 148क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन और इसमें डिजिटल मोहर, डिजिटल चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्न भी शामिल है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो:'।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 12 का संशोधन। 2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 13 का संशोधन। . मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का संशोधन।

- . मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में,
 - (i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर, "संयंत्र और मशीनरी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
 - (ii) विद्यमान व्याख्या को उसकी व्याख्या 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित व्याख्या 1 के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोडी जाएगी, अर्थात:—

"व्याख्या 2.— खण्ड (घ) के प्रयोजनों हेतु, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, "संयत्र या मशीनरी" के किसी सन्दर्भ का अर्थ "संयंत्र और मशीनरी" के सन्दर्भ के रूप में लगाया जाएगा और सदैव इसी रूप में लगाया गया समझा जाएगा।'।

2017 के हरियाणा **6.** अधिनियम 19 में धारा 20 का संशोधन।

- मूल अधिनियम की धारा 20 में,—
 - (i) उपधारा (1) में, "धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) में "धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन'' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा अप्रैल, 2025 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां ऐसे किसी जमापत्र से सम्बन्धित इनपुट कर प्रत्यय, जो उपभोग किया जा चुका है, प्राप्तिकर्ता द्वारा रिवर्स नहीं किया गया है: या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 38 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 38 में,—
 - (i) उपधारा (1) में "स्वतः जनित विवरण'' शब्दों के स्थान पर, "कोई विवरण'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) में,-
 - (क) "के अधीन स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
 - (ख) खंड (क) में, "तथा" शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (ग) खंड (ख) में,-
 - (i) "धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के कारण भी सम्मिलित हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
 - (ii) अंत में विद्यमान चिह्न "।'' के स्थान पर, ";'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (घ) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोडा जाएगा, अर्थात:-
 - "(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 107 का संशोधन।

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो ।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में,-

- (i) अंत में विद्यमान "।" चिहन के स्थान पर, ":" चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 112 का संशोधन।

"परंतु किसी कर की मांग को अंतर्विलत किए बिना शास्ति की मांग वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परन्तुक के अधीन भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न कर दिया गया हो।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 122क के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"122ख. ट्रैक तथा ट्रेस प्रणाली की अनुपालना करने में असफलता के लिए शास्ति.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, उक्त धारा के उपबंधों की उल्लंघना में कार्य करता है, तो वह, अध्याय xv या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए या ऐसे माल पर भुगतान योग्य कर के दस प्रतिशत के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा ।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 122ख का रखा जाना।

13. मूल अधिनियम की धारा 148 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

''148क. कतिपय माल के लिए ट्रैक तथा ट्रेस प्रणाली.— (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 148क का रखा जाना।

- (क) ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट कर सकती है;
- (ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो ऐसे मालों को रखते हैं या उनका कारबार करते हैं,

जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

- (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-
 - (क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए किसी प्रणाली की व्यवस्था कर सकती है; तथा
 - (ख) ऐसे मालों के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी शामिल हो ।
- (3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-
 - (क) उक्त मालों या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएंगे;
 - (ख) ऐसे समय के भीतर ऐसी सूचना और ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे और ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसे अभिलेख या दस्तावेज बनाए रखेंगे, जो विहित की जाए;
 - (ग) ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे मालों के विनिर्माण के कारबार के स्थान में स्थापित मशीनरी के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सिम्मिलित है; तथा
 - (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी राशि का भुगतान करेंगे, जो विहित की जाए।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन।

- 14. मूल अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 8 में,-
 - (i) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—
 - "(कक) निर्यात हेतु निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडागार में रखे गए मालों का प्रदाय:":
 - (ii) व्याख्या २ में, "प्रयोजनों के लिए" शब्दों से पूर्व, "खंड (क) के" शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर रखे जाएंगे तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखे गए समझे जाएंगे;
 - (iii) व्याख्या २ के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—
 - "व्याख्या 3.— पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों हेतु, 'विशेष आर्थिक जोन'' ''मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र'' तथा "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 28) की धारा 2 में दिए गए हैं।"।

संगृहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं। 15. ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि इस संशोधनकारी अधिनियम की धारा 14 सभी तात्विक समय पर लागू हुई होती।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

- 2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- 3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थातु :--
 - (i) ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 2 में नए खंड (116क) का रखा जाना ताकि "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके, जिसका अभिप्राय ऐसे चिह्न से है जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो।
 - (ii) अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करना ताकि "संयंत्र या मशीनरी" अभिव्यक्ति के स्थान पर "संयंत्र और मशीनरी" अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जा सके, जिससे ऐसे मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए समझने में किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।
 - (iii) रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट के संबंध में, यदि उसका लाभ उठाया गया हो, तो प्रदायकर्ता के उक्त क्रेडिट नोट के संबंध में कर दायित्व को कम करने के प्रयोजनार्थ, तत्संबंधी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 34 की उप—धारा (2) के परंतुक का संशोधन किया जाना।
 - (iv) ऐसे आदेश जिसमें कर की कोई मांग शामिल किए बिना जुर्माना की मांग शामिल हो के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए जुर्माना राशि का दस प्रतिशत पूर्व जमा करने की आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (6) के परन्तुक का प्रतिस्थापित किया जाना।
 - (v) ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान करने हेतु अधिनियम में एक नई धारा 122ख का रखा जाना।
 - (vi) अधिनियम में एक नई धारा 148क का रखा जाना जिससे निर्दिष्ट मालों के प्रदाय की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्रावधान किया जा सके।
 - (vii) अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 8 में नए खंड (कक) का जोड़ा जाना जिससे यह निर्दिष्ट किया जा सके कि निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में रखे गए माल के प्रदाय को न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा।
- विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नायब सिंह, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ः दिनांक 21 अगस्त, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

12056—H.V.S.—H.G.P., Pkl.